मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय भोपाल

भोपाल, दिनांक 14/02/2022

क्रमांक एफ 16-62/2021/ए-ग्यारह :- राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स बिस्पोक आर्ट स्टूडियो प्रा. लि. द्वारा ग्राम बीनापुर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में लगभग रूपये 135.42 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश (प्लांट मशीनरी एवं भवन में रू. 110.50 करोड़) से पॉटरी एवं हैण्डीक्राफ्ट-होम डेकोर, फर्निशिंग, लाईटिंग एवं सेरेमिक उत्पाद आदि निर्माण इकाई स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निम्नानुसार सुविधाएं दी जाये-

1. **भूमि के मूल्य में रियायत** - परियोजना हेतु खसरा क्रमांक 29(S) गोलखेडी, ग्राम बीनापुर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में 19.38 हेक्टेयर अविकसित भूमि का आवंटन प्रचलित दर के 25% की दर से की जाये।
2. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 40 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 वर्ष की अवधि में बिना किसी सीमा के शर्तों के अध्याधीन प्रदान् की जाये। परियोजना को योजना अन्तर्गत प्रावधानित निर्यात एवं रोजगार गणक का लाभ शर्तों के अध्याधीन पृथक से प्राप्त होगा।
3. **स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति** - परियोजना हेतु लीज पर ली गयी भूमि के पट्टाभिलेख पर चुकाये गये स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाये।
4. **प्रशिक्षण संस्थान हेतु सहायता-** प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना में किये गये व्यय की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाये, जिसकी अधिकतम सीमा रू. 1.25 करोड़ होगी।
5. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रतियूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
6. **विद्युत शुल्क से छूट**- वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्षों हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।
7. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति** - कंपनी द्वारा नवीन कर्मचारियों को दिये गये प्रशिक्षण पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति रू. 13000 प्रति कर्मचारी की दर से 5 वर्षो हेतु अधिकतम सीमा रू. 01.00 करोड प्रतिवर्ष, की जाये।

8. **रोजगार सृजन अनुदान-** वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से प्रथम 05 वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन कर्मचारियों को 3 वर्ष तक, रूपये 5000 प्रति कर्मचारी प्रतिमाह, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।

9. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

10. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

11. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
भोपाल, दिनांक 14/02/2022

पृ.क्र. एफ 16-62/2021/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, वन विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला भोपाल ।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स बिस्पोक आर्ट स्टूडियो प्रा. लि., एफ-1, फर्स्ट फ्लोर, साईं मंहदी अर्पाटमेंट, इंदौर रोड़, भोपाल।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग